प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इजीनियरिंग संस्थाए।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2454 **लखनऊः दिनांकः 01/07/2024**

विषयः सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्याः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2068, दिनांकः 24.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2024–25 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु यूराईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 25.06.2024 से 30.06.2024 के मध्य आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

कतिपय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थान अपरिहार्य कारणवश सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबध में आवेदन नहीं कर सकें है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांकः 01.07.2024 से 04.07.2024 तक प्रत्येक दशा में यूराईज पोर्टल पर अपनी संस्था के **su login** के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2023–24 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति **(pdf format)** को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि 04.07.2024 तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में तिथि का विस्तारण नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
o/c सचिव

पृ0सं0ः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2455-59 **तद्दिनांकः 01/07/2024**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
o/c सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2068 **लखनऊः दिनांकः 24.06.2024**

विषयः सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2024–25 हेतु निर्गत शैक्षिक कैलेण्डर **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सत्र 2024–25 हेतु संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 एवं संबंधित यूनिवर्सिटी / बोर्ड को सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है।

उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2024–25 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही दिनांकः 31.07.2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांकः 25.06.2024 से 30.06.2024 तक प्रत्येक दशा में यूराईज पोर्टल पर अपनी संस्था के **su login** के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2023–24 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति **(pdf format)** को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि 30.06.2024 तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परिषद द्वारा सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा करने हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे एवं सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रदान किया जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 2069-73 **तददिनांकः 24.06.2024**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

Academic Calendar 2024-25

Sl. No.	For Technical Institutions (Not applicable for Standalone/PGCM Institutions)	Schedule for A/Y 2024-25
1.	Last Date to Granting or Refusing Approval by AICTE	10th June 2024
2.	Final Date to Grant approval to Technical Institution	30th June 2024
3.	Last Date for Grant of affiliation by University/ Board	31st July 2024
4.	Last Date for cancellation of seats for Technical courses with full fee refund	11th September,2024
5.	Last Date up to which First year students can be admitted against vacancies	15th September, 2024
6.	Last Date for Commencement of classes for First year students of Technical courses	15th September, 2024
7.	Last Date for Lateral Entry Admission to Second year courses for Newly Admitted students.	15th September, 2024
	For Standalone PGDM/PGCM Institutions	
1.	Last Date to Granting or Refusing Approval by AICTE	10th June 2024
2.	Final Date to Grant approval	30th June 2024
3.	Last Date for cancellation of seats of PGDM/PGCM with full refund	11th September,2024
4.	Last Date for Admission to courses in PGDM/PGCM	15th September,2024
5.	Last Date for Commencement of classes for PGDM/PGCM	11th September,2024
	Institutions with ODL / Online Programme(s) / Course(s)	
1.	Last Date for Grant of Approval to Institutions Offering ODL/Online Course(s)	As per UGC Policy
2.	Last Date for Admission to Courses in Open and Distance Learning Mode (First Session)	
3.	Last Date for Admission to Courses in Open and Distance Learning/ Online Learning Mode (Second Session)	

Member Secretary, AICTE